UTTAR PRADESH SHASHAN
NAYAY ANUBHAG-1(UCCH NAYALAYA)
NO.: 5025 /VII-Naya-1-10-78/2005
LUCKNOW: DATE: 13 JANUARY, 2011

THE ALLAHABAD HIGH COURT COMPUTER CADRE SERVICE RULES, 2010

In exercise of the power conferred under Article 229(2) of the Constitution of India, the Chief Justice is pleased to make the following rules regulating the appointment and other conditions of Service of various posts of the Computer Cadre in the High Court of Judicature at Allahabad.

PART-I GENERAL

1. **Short title and Commencement:**
    (1) These rules may be called the Allahabad High Court Computer Cadre Service Rules, 2010
    (2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.
2. Definitions: In these rules, unless the context otherwise reqires;-
    (a) 'Appointing Authority' means the Chief Justice or such other judge or officer of the High Court as the Chief Justice may dirtect.
    (b) 'Chief Justice' means the Chief Justice of the High Court.
    (c) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh.
    (d) 'High Court' means the High Court of Judicature at Allahabad.

(e) 'Member of the Service' means, a person appointed in the substantive capacity on a post in the Service and in case the appointment is,
   (i) prior to the enforcement of these rules then under the orders/executive instructions applicable at the time of appointment;
   (ii) subsequent to the enforcement of these rules then under these rules.

(f) 'Registrar General' means the Registrar General of the High Court.

(g) 'State Government' means the State Government of Uttar Pradesh.

(h) 'Substantive appointment' means, a appointment that is-
   (i) neither an ad hoc nor temporary appointment; and
   (ii) on a post (temprorary or permanent) in the cadre of the Service; and
   (iii) made in accordance with the rules/orders/executive instructions applicable at the time of appointment.

(j) 'Year of recruitment' means a period to twelve months commencing on the first dat of July of a Calender year.

PART-II CADRE

3. **Cadre of Service:**
   (1) The strength of the Service and the number of the posts therein shall be such as may be determined by the Chief Justice with approval of the Governor.
   (2) The strength of the Service at the time of the commencement of these rules along with their rearrangement/up- gradation is mentioned in Schedule-I appended to these rules.

PART - III RECRUITMENT

4. Recruitment: The recruitment to the various posts in the Service shall be as follows:

(1)	Computer Operator Grade-B	On merit, by direct recruitment.
(2)	Computer Operator Grade-C	By promotion on the basis of Seniority cum Merit from amongst the Computer Operator Grade-B who have completed 6 years of satisfactory Service.
(3)	Programmer Grade-2:	By promotion on the basis of Seniority cum Merit from amongst the Computer Operator Grade-C.
(4)	Programmer Grade-1:	(i) By promotion on the basis of Seniority cum Merit from amongst such Programmer Grade-2 who have completed 5 years of satisfactory Service or from amongst Computer Operator Grade-B who have completed 11 years of satisfactory Service. (ii) In case, no suitable candidate is available then the post may be filled by direct recruitment.
(5)	Systems Analyst:	(i) By promotion on the basis of Seniority Cum Merit from amongst such Programmer Grade-I who have completed 5 years of satisfactory Service. (ii) In case, no suitable candidate is available then the post may be filled by direct recruitment.
(6)	Senior Systems	By promotion on the basis of

	Analyst:	Seniority cum Merit from amongst the Systems Analysts who have completed 7 years of satisfactory Service.
(7)	Systems Manager:	By promotion on the basis of Seniority Cum Merit from amongst such Senior Systems Analyst who have completed 4 years of satisfactory Service or from amongst such Systems Analyst who have completed 11 years of satisfactory Service.

PART- IV QUALIFICATIONS

5- Qualifications: The qualifications for the direct recruitment to the post of Computer Operator Grade-B, Programmer Grade-I (in case the selection is by direct recruitment) & Systems Analyst (in case the selection is by direct recruitment) shall be as follows:

(1)	Computer Operator Grade-B	(i) Educational qualification: At least second class bachelor degree from a recognized University in Computer Science or related subject; or Second class bachelor degree from a recognized University with PGDCA; or Second class bachelor degree from a recognized University with 'A' level course from DOE. (ii) Desirable Experience: Working knowledge of Operating Systems and Office applications suites. (iii) Speed: Date entry speed of 8000 keys depression per hour.
(2)	Programmer	(ii) Working knowledge of

	Grade-1: (if it is required to be filled by direct recruitment)	Unix/Open Source Software/ Windows NT/ Oracle and other RDMS packages/ Programming languages with the following minimum educational qualification: * B.E. (Computer Science or related subject) or equivalent higher qualification from a recognized University/Institution: or * M.C.A./M.Sc. (Computer Science or related subject) from a recognized University/ Institution; or * Second class bachelor degree from a recognized University with 'B' level course Certificate from DOE.
(3)	Systems Analyst: (if it is required to be filled by direct recruitment)	Educational Qulification: Working knowledge of Unix/Open Source Software/Windows NT/Oracle and other RDMS packages/Systems Analysis and Programming with the following educational qualifications. * M.E. or equivalent degree (Computer Science or related subject) from a recognized University/Institution. or 'C' level course from DOE; or * B.E. or its equivalent in Computer Science or related subject from recognized institution/university with five year experience. or

		* M.C.A./M.Sc. (Computer science or related subject) with three years experience.

6- Age: In case, direct recruitment is required to be made to the post of Console Operator Grade-B, Programmer Grade-I and Systems Analyst, Candidates must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 35 years on the first day of July of the calender year in which vacancies for direct recruitemt are advertised:

Provided that there may be relaxation of five years in the upper age limit in the case of Schedule Castes and Schedule Tribes Candidates.

Provided further that departmental candidates shall be given relaxation in maximum age limit.

PART - V PROCEDURE FOR RECRUITMENT

7. **Determination of Vacancies:** The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule.

8- **Method of Selection:**

(1) The appointing authority may make the selection under these rules or appoint a selection committee to do so.

(2) The merit-in the discretion of the appointing authority or the selection committee- may be determined on the basis of written examination, or interview, or by both.

(3) The appointing authority or the selection committee may prescribe addititional qualifications, or procedure, or syllabus for the selection.

(4) In the selection, if two or more candidates secure equal marks then, the candidate securing higher marks in the

written examination will be placed higher in the merit list. If the written marks are also equal then the candidates senior in age will be placed higher.

(5) The selection list shall be valid for one year from the date of declaration of the results or the next selection, whichever is earlier.

PART-VI APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

9. **Appointment and Probation:**

(1) The appointments shall be made according to the merit list prepared at the time of selection.

(2) A candidate shall be placed on probation for a period of one year.

(3) The appointing authoritry may, for reasons to be recorded in writing, extend the period of probation.

Provided that, the total period of probation, including the extended period of probation, shall not exceed three years.

10. **Confirmation:** A probationer may be confirmed at the end of the period of probation of extended period of probation if,

(i) his work and conduct is satisfactory; and

(ii) his integrity is certified; and

(iii) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

11. **Seniority**:

(1) The Seniority shall be determined from the date of substantive appointment.

(2) If members of the Service are appointed on the same date then the seniority shall be determined according to the merit list prepared at the time of the appointment.

(3) These rules will not affect seniority of the members of service as it existed prior to the date of enforcement of these rules.

12. **Pay, Allowances and Facilities:**

(1) The pay-scale of the members of the Service shall be such as may be determined by the Chief Justice with the approval of the Governor.

(2) The pay-scales of different posts, on the date of the commencement of these rules, are given in Schedule-2

(3) The members of the Service shall be entitled to allowances and other facilities as are admissible to the members of other Services in the High Court in the same pay-scale/grade.

13. **Higher Grade:** In view of limited posts and in order to avoid stagnation, next higher Pay Scale/Pay grade as applicable may be granted to the members of the Service after completion of 10 years, 20 years, 30 years of satisfactory Service.

PART-VII OTHER PROVISIONS

14- **Reservation:**

(1) There shall be reservatrion of 21% for the Scheduled Castes, 2% for the Scheduled Tribes and 27% for the Other Backward Classes on the vacant where selection is made through direct recruitment.

(2) The High Court may provide any horizontal reservation on the aforesaid post.

(3) In case for three consecutive selection suitable candidates are not available in the reserved category then the post may be filled by the general candidates.

15. **Regulation of Other matter:**

(1) Subject to any modification in writing by the Appointing Authority the members of the Service shall

be governed by the rules, regulations and orders applicable to the Government servants holding corresponding posts in the State Government in respect of matters not provided herein.

(2) In case of any doubt regarding any post being corresponding to a post in the State Government, the matter will be decided by the Appointing Authority.

16. **Residuary Powers:** The Appointing Authority may issue orders in regard to the matters incidental or ancillary to these rules.

Provided that if the order relates to salaries/ allowances/leave/pension, then the same shall be made after approval the Governor.

By Order,

(K. K. Sharma)
Principal Secretary, Law

Schedule-I

(See rules 3)

Existing Posts

Existing Posts and Cadre structure in the Allahabad High Court:

Designation	No. of Posts	Pay Scale
Incharge Computer Centre	1	12000-375-16500
Systems Analyst Cum Programmer	5	8000-275-13500
Console Operator	25	4500-125-7000
Total	31	

Schedule-2

(See rule 12)

New nomenclature, pay scales and number of posts of computer cadre after rearrangement/up- gradation from the existing posts:

S.No.	Desigation	No. of Posts	Cadre	Pay scale after rearrange ment and up-gradation based of fifth pay commission	Pay scale after rearrangement and up gradation based on sixth pay commission Pay Scale	Grade Pay
1-	System Manger	2	Gr-A	14300-400-18300	37400-67000 PB-4	8700/-
2-	Senior Systems Analyst	1	Gr-A	12000-375-16500	15600-39100 PB-3	7600/-
3-	Systems Analyst	3	Gr-A	10000-325-15200	15600-39100 PB-3	6600-/

4-	Programmer Grade 1	2	Gr-A	8000-275-13500	15600-39100 PB-3	5400/-
5-	Programmer Grade-2	6	Gr-B	6500-200-10500	9300-34800 PB-2	4600/-
6-	Computerr Operator Grade-C	8	Gr-C	5000-150-8000	9300-34800 PB-2	4200/-
7-	Computer Operator Grade-B	9	Gr-C	4500-125-7000	5200-20200 PB-1	2800/-

Note: Revision/upgradation of pay scale after rearrangement of existing posts in new nomenclature and placement of incumbents in above posts shall be done in pay scales of fifth pay commission which shall be applicable w.e.f. 01.01.2006. Pay Scale of Rs. 5000-8000 shall be granted to console operatrors adjusted against 9 posts of Computer Operator Grade-B w.e.f. 01.01.2006 which shall be personal to them. Pay Scales of Sixth Pay Commssion shall be fixed accordingly.

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)
संख्याः 5025/सात-न्याय-1-10-78/2005
लखनऊः दिनांकः 13 जनवरी, 2011

इलाहाबाद उच्च न्यायालय कम्प्यूटर संवर्ग सेवा नियमावली, 2010

भारत के संविधान के अनुच्छेद 229 (2) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कम्प्यूटर संवर्ग के विभिन्न पदों की नियुक्ति और अन्य सेवा शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

भाग-एक-सामान्य

1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः-

(1) यह नियमावली इलाहाबाद उच्च न्यायालय कम्प्यूटर संवर्ग सेवा नियमावली, 2010 कही जाएगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2- परिभाषाएं:- इस नियमावली में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य मुख्य न्यायाधीश या ऐसे अन्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के अधिकारी से है जिसे मुख्य न्यायाधीश निदेश दें,

(ख) ''मुख्य न्यायाधीश'' का तात्पर्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से है,

(ग) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(घ) ''उच्च न्यायालय'' का तात्पर्य उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से है,

(ड.)- ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है और यदि नियुक्ति-

(एक) इस नियमावली के प्रवर्तन के पूर्व हो, तो नियुक्ति के समय लागू आदेशों/ कार्यकारी निदेशों के अधीन

(दो) इस नियमावली के प्रवर्तन के पश्चात हो तो इस नियमावली के अधीन

(च) ''महानिबन्धक'' का तात्पर्य उच्च न्यायालय के महानिबन्धक से है,

(छ) ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(ज) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य, ऐसी नियुक्ति से है जो,-

(एक) न तो तदर्थ हो न अस्थायी नियुक्ति हो, और

(दो) सेवा के संवर्ग में किसी पद पर (अस्थायी या स्थायी) हो, और

(तीन) नियुक्ति के समय लागू नियमों/आदेशों/कार्यकारी निदेशों के अनुसार की गई हो।

(झ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-2-संवर्ग

3- **सेवा का संवर्ग-**

(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल के अनुमोदन से मुख्य न्यायाधीश द्वारा अवधारित की जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय सेवा की सदस्य सख्ंया उसके पुर्नव्यवस्थापन/उच्चीकरण सहित इस नियमावली से संलग्न अनुसूची एक में उल्लिखित है।

भाग-तीन-भर्ती

4- **भर्तीः-** सेवा में विभिन्न पदों पर भर्ती निम्न प्रकार होगीः

(1)	कम्प्यूटर आपरेटर श्रेणी-ख	श्रेष्ठता के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा
(2)	कम्प्यूटर आपरेटर श्रेणी-ग	ऐसे कम्प्यूटर आपरेटर श्रेणी-ख में से , जिन्होंने 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा
(3)	प्रोग्रामर श्रेणी-2	कम्प्यूटर आपरेटर श्रेणी-ग में से ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा
(4)	प्रोग्रामर श्रेणी-।	(एक) ऐसे प्रोग्रामर श्रेणी-2 में से जिन्होंने 5

	वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो या ऐसे कम्प्यूटर आपरेटर श्रेणी-ख में से जिन्होंने 11 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो। ज्येष्ठता-सह-श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा (दो) यदि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकेगा।
(5) सिस्टम एनालिस्ट	(एक) ऐसे प्रोग्रामर श्रेणी-। में से जिन्होंने 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता-सह-श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। (दो) यदि, कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकेगा।
(6) वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट	ऐसे सिस्टम एनालिस्टों में से जिन्होने 7 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता-सह-श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
(7) सिस्टम प्रबन्धक	ऐसे वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्टों में से जिन्होंने 4 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो या ऐसे सिस्टम एनालिस्टों में से जिन्होंने 11 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता-सह-श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

भाग-चार-अर्हताएं

5- **अर्हताएंः-** कम्प्यूटर आपरेटर श्रेणी-ख, प्रोग्रामर श्रेणी-। (यदि चयन सीधी भर्ती से होता है) और सिस्टम एनालिस्ट (यदि चयन सीधी भर्ती से होता है) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं निम्नलिखित होगीः-

(1) कम्प्यूटर आपरेटर श्रेणी-ख	(एक) शैक्षिक अर्हता : कम्प्यूटर विज्ञान या सम्बन्धित विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि। या पी0जी0डी0सी0ए0 के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि या डी0ओ0ई0 से ''ए'' स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविघालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि। (दो) वांछनीय अनुभवः आपरेटिगं सिस्टम और आफिस एप्लीकेशन्स सूटों का सम्यक ज्ञान। तीन- गतिः 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की डाटा इण्ट्री गति।
(2) प्रोग्रामर श्रेणी-। (यदि इसे सीधी भर्ती से भरा जाना है)	यूनिक्स/ओपन सोर्स साफ्टवेयर/विन्डोज एन0टी0/ओरेकल और अन्य आर0डी0 एम0एस0 पैकेजेज/प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज का सम्यक् ज्ञान,साथ में निम्नलिखित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता बी0ई0 (कम्प्यूटर साइंस या सम्बन्धित विषय) या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से हो समकक्ष उच्चतर अर्हता,

भाग-चार-अर्हताएं

5- **अर्हताएं:-** कम्प्यूटर आपरेटर श्रेणी-ख, प्रोग्रामर श्रेणी-। (यदि चयन सीधी भर्ती से होता है) और सिस्टम एनालिस्ट (यदि चयन सीधी भर्ती से होता है) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं निम्नलिखित होगीः-

(1) कम्प्यूटर आपरेटर श्रेणी-ख	(एक) शैक्षिक अर्हता : कम्प्यूटर विज्ञान या सम्बन्धित विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि। या पी0जी0डी0सी0ए0 के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि या डी0ओ0ई0 से ''ए'' स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविघालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि। (दो) वांछनीय अनुभवः आपरेटिगं सिस्टम और आफिस एप्लीकेशन्स सूटों का सम्यक ज्ञान। तीन- गतिः 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की डाटा इण्ट्री गति।
(2) प्रोग्रामर श्रेणी-। (यदि इसे सीधी भर्ती से भरा जाना है)	यूनिक्स/ओपन सोर्स साफ्टवेयर/विन्डोज एन0टी0/ओरेकल और अन्य आर0डी0 एम0एस0 पैकेजेज/प्रोग्रामिंग लैग्वेजेज का सम्यक् ज्ञान,साथ में निम्नलिखित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता बी0ई0 (कम्प्यूटर साइंस या सम्बन्धित विषय) या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से हो समकक्ष उच्चतर अर्हता,

	या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर साइंस या सम्बन्धित विषय): या डी0ओ0ई0 से 'बी' स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि।
(3) सिस्टम एनालिस्ट (यदि इसे सीधी भर्ती से भरा जाना है)	शैक्षिक अर्हताः यूनिक्स/ ओपन सोर्स साफ्टवेयर/ विन्डोज एन0टी0 ओरेकल और अन्य आर0डी0एम0एस0 पैकेजेज सिस्टम एनालेसिस और प्रोग्रामिंग के सम्यक् ज्ञान के साथ निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताः किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम0ई0 या समकक्ष उपाधि (कम्प्यूटर साइंस या सम्बन्धित विषय), या डी0ओ0ई0 से 'सी' स्तरीय पाठ्यक्रम, या किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से बी0ई0 या कम्प्यूटर साइंस या सम्बन्धित विषय में पांच वर्ष के अनुभव के साथ समकक्ष उपाधिः या एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर साइंस या सम्बन्धित विषय) तीन वर्ष के अनुभव के साथ।

6- **आयुः-** यदि, कन्सोल आपरेटर श्रेणी-ख, प्रोग्रामर श्रेणी-1 और सिस्टम एनालिस्ट के पद पर सीधी भर्ती अपेक्षित हो तो अभ्यर्थियों ने उस कैलेण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस को जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां

विज्ञप्ति की जाएं, 21 वर्ष की आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो:

प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जा सकती है:

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि विभागीय अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु मे छूट दी जाएगी।

भाग-पांच-भर्ती की प्रक्रिया

7- **रिक्तियों का निर्धारण:-** नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम कें अधीन अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

8- **चयन की रीति:-**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी इस नियमावली के अधीन चयन कर सकता है या ऐसा करने के लिए चयन समिति नियुक्त कर सकता है।

(2) श्रेष्ठता का निर्धारण, नियुक्ति प्राधिकारी या चयन समिति के विवेक से, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों के आधार पर किया जाएगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी या चयन समिति चयन के लिए अतिरिक्त अर्हता, या प्रक्रिया या पाठ्यक्रम विहित करेगी।

(4) चयन में, यदि दो अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक पाने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। यदि लिखित परीक्षा में भी बराबर अंक हो तो आयु मे वरिष्ठ अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा।

(5) चयन सूची, परिणामों की घोषणा या अगले चयन के दिनांक से, जो भी पूर्ववर्ती हो, एक वर्ष के लिए विधि मान्य होगी।

भाग-छठां-नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

9- **नियुक्ति और परिवीक्षाः**

(1) नियुक्तियां चयन के समय तैयार श्रेष्ठता सूची के अनुसार की जाएगी।

(2) अभ्यर्थी को एक वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें, परिवीक्षा अवधि को बढा सकता हैः

प्रतिबन्ध यह है कि परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें परिवीक्षा की बढाई हुई अवधि सम्मिलित है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

10- **स्थायीकरणः** किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा की अवधि या परिवीक्षा की बढाई गई अवधि, के अंत में स्थायी कर दिया जाएगा, यदि-

(एक) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक है, और

(दो) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है, और

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि वह स्थायी किए जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

11- **ज्येष्ठताः-**

(1) वरिष्ठता का निर्धारण मौलिक नियुक्ति के दिनांक से किया जाएगा।

(2) यदि सेवा के सदस्यों की नियुक्ति एक ही दिनांक को की जाती है तो ज्येष्ठता का अवधारण नियुक्ति के समय तैयार की गई श्रेष्ठता सूची के अनुसार किया जाएगा।

(3) यह नियमावली सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता को, जैसी वह इस नियमावली के प्रवर्तन के दिनांक के पूर्व विद्‌यमान थी, प्रभावित नहीं करेगी।

12- **वेतन, भत्ते और सुविधाएंः**

(1) सेवा के सदस्यो का वेतनमान ऐसा होगा जैसा राज्यपाल के अनुमोदन से मुख्य न्यायाधीश द्वारा अवधारित किया जाए।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को विभिन्न पदों के वेतनमान अनुसूची-2 में दिए हैं,

(3) सेवा के सदस्य ऐसे भत्ते और अन्य सुविधाओं के लिए हकदार होगें जैसी उस वेतनमान/ग्रेड में उच्च न्यायालय में अन्य सेवाओं के सदस्यों को अनुमन्य है।

13- **<u>उच्चतर ग्रेडः-</u>** सीमित पदों की दृष्टि से और वृद्धिरोध से बचने के लिए अगला उच्चतर वेतनमान/ग्रेड वेतन जो भी लागू हो 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के पश्चात सेवा के सदस्यों को स्वीकृत किया जाएगा।

<u>भाग-सात-अन्य उपबन्ध</u>

14- **<u>आरक्षणः</u>**

(1) जहां चयन सीधी भर्ती से हो वहां अनुसूचित जाति के लिए 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 प्रतिशत और अन्य पिछडे वर्गो के लिए 27 प्रतिशत का आरक्षण रिक्त पदों पर किया जाएगा।

(2) उच्च न्यायालय उक्त पद पर किसी क्षैतिजीय आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है।

(3) यदि तीन क्रमवार चयनों में, आरक्षित श्रेणी में उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो पद को सामान्य अभ्यर्थी से भरा जा सकता है।

15- **<u>अन्य विषय का विनियमनः-</u>**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिखित में किसी उपांतरण के अधीन रहते हुए सेवा के सदस्य उन मामलों में जो यहां उपबंधित नहीं है, राज्य सरकार में तत्समान पदधारण करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू नियमावली, विनियमावली और आदेशों से शासित होगें।

(2) राज्य सरकार में किसी पद के तत्समान पद होने के सम्बन्ध में किसी संदेह की स्थिति में, मामले का विनिश्चय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

16 - **<u>अवशिष्ट शक्तिः-</u>** नियुक्ति प्राधिकारी इस नियमावली से आनुषंगिक या सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में आदेश जारी कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि आदेश वेतन/भत्ते/छुट्टी/पेंशन से सम्बन्धित है, तो उसे राज्यपाल से अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा।

आज्ञा से,

(के0 के0 शर्मा)

प्रमुख सचिव, न्याय।

अनुसूची-1
(नियम-3 देखें)

विद्यमान पद-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विद्यमान पद और संवर्गीय ढांचाः-

पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
प्रभारी कम्प्यूटर सेन्टर	01	12000-375-16500
सिस्टम एनालिस्ट सह प्रोग्रामर	05	8000-275-13500
कन्सोल आपरेटर	25	4500-125-7000
योग	31	

अनुसूची-2
(नियम-12 देखें)

विघमान पदों के पुनः व्यवस्थित /उच्चीकरण के पश्चात कम्प्यूटर सवर्ग के पदों की नयी नामावली, वेतनमान और पदों की संख्याः-

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	संवर्ग	पांचवे वेंतन आयोग पर आधारित पुनः व्यवस्था और उच्चीकरण के पश्चात वेतनमान	छंठवे वेतन आयोग पर आधारित पुनः व्यवस्था और उच्चीकरण के पश्चात वेतनमान
1-	सिस्टम मैनेजर	02	श्रेणी-क	14300-400-18300	37400-67000 पी0बी0-4 8700/-
2-	वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट	01	श्रेणी-क	12000-375-16500	15600-39100 पी0बी0-3 7600/-
3-	सिस्टम एनालिस्ट	03	श्रेणी-क	10000-325-15200	15600-39100 पी0बी0-3 6600/-
4-	प्रोग्रामर श्रेणी-1	02	श्रेणी-क	8000- 275-13500	15600-39100 पी0बी0-3 5400/-
5-	प्रोग्रामर श्रेणी-2	06	श्रेणी-ख	6500- 200-10500	9300-34800 पी0बी0-2 4600/-

6-	कम्प्यूटर आपरेटर श्रेणी-ग	08	श्रेणी-ग	5000- 150-8000	9300-34800 पी0बी0-2 4200/-
7-	कम्प्यूटर आपरेटर श्रेणी-ख	09	श्रेणी-ग	4500-125-7000	5200-20200 पी0बी0-1 2800/-

टिप्पणीः- नए पद नामों में विद्‌यमान पदों की पुनः व्यवस्था के पश्चात और उपर्युक्त पदों पर पदधारियों की तैनाती के पश्चात वेतनमानों का पुनरीक्षण/उच्चीकरण पंचम वेतन आयोग के वेतनमानों में किया जाएगा जो 01-01-2006 से लागू होगा। 5000-8000 का वेतनमान कंसोल आपरेटरों को स्वीकृत किया जाएगा जो 01-01-2006 से कम्प्यूटर आपरेटर श्रेणी-ख के 9 पदों के सापेक्ष समायोजित है। यह वेतनमान उन्हें व्यक्तिगत होगा। तदनुसार छठां वेतन आयोग के वेतनमान दिये जाएंगे।